24-6-2022

प्रार्थी श्रवण कुमार पुत्र मीठालाल जी, जाति– मेघवाल, निवासी– गोयली, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या– 4 व 5 क्रमशः श्रीमती लेहरी पत्नि स्व. कुपाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– गोईली, तह. व जिला– सिरोही एवं श्रीमती पोसी पुत्री कुपाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– गोईली, तह. व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार उपस्थित। जिन्होंने मूल निगरानी आवेदन में वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या– 1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, गोईली) अनुपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः श्री जैसाराम पुत्र नथाजी मेघवाल, निवासी– पीपलकी रोड, गोईली, तहसील व जिला– सिरोही व श्री जैसाराम पुत्र नथाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– पीपलकी रोड, गोईली अनुपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या– 6 (राजेन्द्र कुमार पुत्र वीना जी, जाति– मेघवाल, निवासी– गोईली) अनुपस्थित। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुये। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकालतनामा

----लगातार

सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 40/2022 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता श्री कैलाश कुमार माली व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता श्री दिनेश टांक ने मूल निगरानी आवेदन में UnderTaking दी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता ने फार्म नम्बर– 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के मालकी स्वामित्व तथा कब्जे का पुश्तैनी आवासीय मकान मय भूखण्ड ग्राम गोयली के मेघवाल वास में आया हुआ है जिसमें प्रार्थी व उसके परिवारजन अपने बाप दादा के समय से करीब 100 वर्षो से भी अधिक समय से निवास कर रहे व उपयोग व उपभोग कर रहे है जिसका ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा पट्टा संख्या 20 दिनांक 18.12.2018 को जारी किया है एवं यह पट्टा उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही से पंजीकृत है। इस पट्टे का नाप व चतुदर्शी उत्तर में गली व दरवाजा व सदाराम पुत्र पुनाजी का मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व में वीसाराम प्रेमाजी व मोहन प्रेमाजी का मकान व पश्चिम दिशा में लेहरी पत्नी कूपाराम का मकान है। प्रार्थी के आवासीय मकान के उत्तर में आम रास्ता है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी अपने पुरखों के समय से पिछले कई वर्षो से बिना किसी रुकावट के करते आ रहे है। उक्त रास्ता 12 फीट की चौडाई में है। उक्त रास्ते की भूमि पर किसी व्यक्ति को अवरोध उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, गोईली द्वारा उक्त रास्ते की भूमि के उत्तर दिशा की तरफ के आवासीय मकान व भूखण्ड जो दो भाग में है का संयुक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया गया था जिसके पट्टा संख्या 13 दिनांक 03.5.1959 है। ग्राम पंचायत, गोईली द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 03.5.1959 की चतुर्दशी में उक्त भूखण्ड के मकान के दक्षिण दिशा में पडत हीण भूमि दर्शित की है एवं प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 18.12.2018 के भूखण्ड मय मकान की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में भी ग्राम पंचायत गोयली द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन करने के बाद उत्तर दिशा में गली दर्शित की है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के मकान मय भूखण्ड के उत्तर दिशा में व अप्रार्थी संख्या–2 सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में आने जाने का पुराना रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी काफी समय से करता आ रहा है। यह कि ग्राम पंचायत, गोयली ने मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही व जांच किये बिना ही प्रा[illegible] उत्तर दिशा में व अप्रार्थी संख्या–2 सदाराम के मका[illegible] दिशा में आने जाने के पुराने रास्ते[illegible] एवं उत्तर–दक्षिण 45 फीट[illegible] पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 जैसा पुत्र नथा, पुना, ध[illegible] पिसरान–नथाजी के नाम जारी किया गया है। प्रार्थी के मकान[illegible] भूखण्ड के उत्तर

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 40 / 2022 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | दिशा में व अप्रार्थी संख्या–2 सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में आने जाने के पुराने रास्ते की भूमि पर जो पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 जैसा पुत्र नथाजी, पुना, धरमा पिसरान नथाजी के नाम जारी किया गया है जिसमें पट्टा धारक में सें जैसीया, धरमा व पुना सगे भाई है जो कि नथाजी के पुत्रगण है जिसमें से धरमा व पुना की मृत्यु हो चुकी है तथा पुना का पुत्र अप्रार्थी संख्या–2 सदाराम है तथा जैसीया ने उक्त सम्पति में से अपना हक छोड ग्राम गोयली में पीपलकी रोड पर अलग से निवास कर रहा है व उक्त सम्पति पर वर्तमान में अप्रार्थी सदाराम काबिज है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में मार्क एबीसीडी से दर्शाया गया है। प्रार्थी के मकान मय भूखण्ड के उत्तर दिशा में व अप्रार्थी सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में आने जाने का पुराने रास्ते की भूमि पर जारी पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 की चतुर्दशी का अवलोकन किया जाये तो इस पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 की दक्षिण दिशा में खालसा हीण भूमि दशाई गई है। प्रार्थी के पट्टे की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में दशाई गई गली व दरवाजा तत्पश्चात अप्रार्थी सदाराम की अचल सम्पति तथा अप्रार्थी संख्या–2 सदाराम की अचल सम्पति पट्टे में दक्षिण दिशा में दशाई पडत हीण भूमि दशाई गई है। इस प्रकार, प्रार्थी के पट्टे की चतुर्दशी व अप्रार्थी संख्या–2 सदाराम के पट्टे के चतुर्दशी व विवादित पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 का अवलोकन करने पर यह साबित है कि प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या–2 सदाराम के मकान के दक्षिण दिशा में पुराना रास्ता है। यह कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 को जारी किये जाने के बाद अप्रार्थी संख्या–4 के पति व अप्रार्थी संख्या–5 के पिता कुपाराम जी पुत्र खेताराम जी के नाम से भी पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 कुल क्षेत्रफल 1650 वर्गफीट का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, गोयली ने प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या–2 के मकान के दक्षिण दिशा में स्थित पुराने रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 को विधि विरुद्ध जारी किया है, जिसको संलग्न नजरी नक्शें में ईएफजीएच से दर्शाया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के द्वारा विवादित पट्टे की आड में रास्ते की भूमि पर अपना अविधिक रुप से हक जताते हुए निर्माण कार्य करवाने हेतु आमदा है जिससे अप्रार्थी संख्या–6 के आने जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 व पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 को जारी किये जाने से मौके पर आने–जाने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है व अप्रार्थी संख्या–6 के दरवाजे के सामने निर्माण कार्य किये जाने से अप्रार्थी संख्या–6 के आने जाने का [illegible] रूप से अवरुद्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत, गोयली [illegible] की भूमि का पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 व [illegible] 09.5.2002 को जारी किये जाने [illegible] बाधित हो रहा है<br>.....लगातार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 40/2022 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | व आये दिन विवाद होता है जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, गोयली व पंचायत समिति, सिरोही में पत्राचार किया गया, जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने पत्र क्रमांकःपंससि/पंचायत/ 2011/46-87 दिनांक 25.8.2011 को जारी कर मौके पर निर्माण कार्य को रुकवाकर ग्राम पंचायत, गोयली को रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु आदेशित किया था, किन्तु मौके पर रास्ते की भूमि पर आज भी अवरोध कायम है, जिससे मौके पर प्रार्थी पूर्ण चौड़ाई में रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो गये है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने रास्ते की भूमि पर जारी पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही भी प्रस्तावित की थी। यह कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा रास्ते की भूमि के जारी उक्त पट्टा संख्या 113 व 25 की आड में अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि में अविधिक रुप से निर्माण कार्य किये जाने से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-6 के आवागमन हेतु रास्ता बाधित हो रहा है। रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिससे प्रार्थी को बहुविवाद में उलझना पडेगा। साथ ही, सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल निगरानी के निर्णय तक विवादित पट्टो के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रवण कुमार के भाई कान्तिलाल व माता मैतीबाई द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पति व पिता के विरुद्ध एक वाद वास्ते शून्य घोषित करने रास्ते का पट्टा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश वास्ते कब्जा हटाये जाने के संबंध में सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही में प्रस्तुत किया गया था। उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद सुनवाई उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में सिविल न्यायालय, क. ख., सिरोही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.9.2013 के द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया। सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही द्वारा मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध वादीगण कांतिलाल व अन्य द्वारा माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में दीवानी अपील [illegible] जो पक्षकार के मध्य राजीनामा होने से माननीय [illegible] न्यायालय, सिरोही द्वारा दीवानी अपील [illegible] व डिक्री दिनांक 15.1.2019 के [illegible] क.ख., सिरोही द्वारा उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में पारित निर्णय व डिक्री<br>......लगातार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 40/2022 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए |
|---|---|---|

दिनांक 03.9.2013 को पुष्ट करते हुए अपील जरिये विड्रोवल खारिज की गई। यह कि अमराराम पुत्र प्रेमाजी मेघवाल, निवासी–गोईली द्वारा अप्रार्थी पूना, धरमा व जैसाराम के विरुद्ध ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जारी पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 को निरस्त कराने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही में धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पंचायत निगरानी संख्या 63/1997 प्रस्तुत की गई थी, जो बाद सुनवाई पक्षकारान अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.1997 के द्वारा खारिज की गई। तत्पश्चात् अमराराम द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 की उपधारा 3 के तहत रिव्यु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, इस रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 92/97 में पारित निर्णय दिनांक 23.1.1998 के द्वारा प्रार्थीगण का रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। यह कि प्रार्थी श्रवण कुमार की माता श्रीमती मैती देवी पत्नि मीठालाल जी मेघवाल ने जिला कलक्टर, सिरोही को शिकायत पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसकी जांच पंचायत समिति, सिरोही के अतिरिक्त विकास अधिकारी से करवाई जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंससि/पंचायत/ 2022/148 दिनांक 08.6.2022 के द्वारा जिला कलक्टर महोदय, सिरोही को जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। इस जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि मैथीदेवी का आरोप गलत होने से अप्रार्थी द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य के संबंध में ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा निर्माण स्वीकृति नियमानुसार जारी करनी चाहिये। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट के बाद ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी लेहरी देवी को पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 पर निर्माण करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 16 दिनांक 16.6.2002 को जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा संख्या 113 व 25 को निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थी के सफल होने की कोई सम्भावना नही है। अप्रार्थी लेहरी देवी को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी नही किया गया है, बल्कि अप्रार्थी लेहरी देवी को पंचायत की पडत आबादी भूमि जिस पर उसक पुश्तैनी मकान व कब्जा था उसका पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी लेहरी देवी द्वारा नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करके पट्टेशुदा आबादी भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, यदि अप्रार्थी लेहरी देवी को निर्माण कार्य करने से रोका जाता है तो अप्रार्थी लेहरी देवी को अपूरणीय क्षति होगीं। सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजों का [illegible] पाया कि प्रार्थी श्रवण कुमार ने ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा [illegible] पट्टा संख्या 113

.....लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 40/2022 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | दिनांक 04.8.1974 व पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके साथ उक्त अधिनियम की धारा 97(2) के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।<br>प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि श्री कान्तिलाल पुत्र मीठालाल जी, जाति– मेघवाल व मेतीबाई पत्नी मीठालाल जी, जाति– मेघवाल, निवासी– गोयली (जो कि प्रार्थी श्रवण कुमार के भाई व माता है) के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पति व पिता कुपाराम जी के विरुद्ध एक वाद वास्ते शून्य घोषित करने रास्ते का पट्टा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश वास्ते कब्जा हटाये जाने के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही में प्रस्तुत किया गया था। उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में प्रतिवादी संख्या–3 (कूपाराम) की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में माननीय सिविल न्यायाधीश, क.ख., सिरोही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.9.2013 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया। माननीय सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही द्वारा मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध वादीगण कांतिलाल व अन्य द्वारा माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में दीवानी अपील डिक्री संख्याः 10/2013 प्रस्तुत की गई। इस दीवानी अपील डिक्री संख्या 10/2013 में पक्षकार के मध्य राजीनामा होने से माननीय जिला न्यायालय, सिरोही द्वारा दीवानी अपील डिक्री संख्याः 10/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.1.2019 के अनुसार सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही द्वारा उक्त मूल दीवानी वाद संख्या 43/2011 कांतिलाल व अन्य बनाम सदाराम व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.9.2013 को पुष्ट करते हुए अपील जरिये विड्रोवल खारिज की गई। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अमराराम पुत्र प्रेमाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– गोईली द्वारा अप्रार्थी पूना, धरमा व जैसाराम एवं ग्राम पंचायत, गोयली के विरुद्ध ग्राम पंचायत गोयली द्वारा जारी पट्टा संख्या 113 दिनांक 04.8.1974 को [illegible] हेतु इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर [illegible]) में [illegible] राजस्थान पंचायती राज [illegible] निगरानी संख्या 63/1997 प्रस्तुत [illegible] बाद सुनवाई पक्षकारान<br>.......लगातार<br><br>अति. जिला कलक्टर<br>सिरोही (राज.) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 40/2022 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए |
|---|---|---|
| | अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.1997 के द्वारा निगरानी खारिज की गई। तत्पश्चात् अमराराम द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 की उपधारा 3 के तहत रिव्यु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, इस रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 92/97 में अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.1.1998 के द्वारा प्रार्थीगण का रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।<br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रवण कुमार की माता श्रीमती मैथी देवी पत्नि मीठालाल जी मेघवाल, निवासी– गोयली द्वारा जिला कालक्टर, सिरोही को कब्जे शुदा पुश्तैनी आवासीय मकान की खाली पडी भूमि पर पडौसी लेहरी पत्नि कूपाजी मेघवाल द्वारा अतिक्रमण कर जमीन हडपने की कोशिश करने के संबंध में एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त शिकायत पत्र की पंचायत समिति, सिरोही के अतिरिक्त विकास अधिकारी से जांच करवाई गई। उक्त शिकायत पत्र की विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के पत्र क्रमांक:पंससि/पंचायत/ 2022/148 दिनांक 08.6.2022 के द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को प्रेषित जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि मैथीदेवी का आरोप गलत होने से अप्रार्थी द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य के संबंध में ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा निर्माण स्वीकृति नियमानुसार जारी करनी चाहिये। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी लेहरी देवी को पट्टा संख्या 25 दिनांक 09.5.2002 पर निर्माण करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 16 दिनांक 16.6.2002 को जारी किया गया है। इस प्रकार, उक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन से अप्रार्थी लेहरी देवी द्वारा पट्टेशुदा आबादी भूमि पर निर्माण कार्य करने के संबंध में ग्राम पंचायत, गोयली से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पट्टेशुदा आबादी भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी लेहरी देवी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं यदि अप्रार्थी लेहरी देवी को पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य किये जाने से रोका जाता है तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।<br>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>(कालूराम खोड़)<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर,<br>सिरोही | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested